

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 जून 2015—आषाढ़ 2, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जून 2015

क्र. एफ 10-2-2014-1-4.—सौ. सुचिता सातपुते पति श्री अरूण एम सातपुते एलआईजी-181-ए सेक्टर सोनागिरी भेल पिपलानी भोपाल दिनांक 02-08-2013 को घर से स्कूल जा रही थी कि पेट्रोल पम्प सोनागिरी के पास अज्ञात मोटर सायकल सवार द्वारा इनके गले से सोने की चेन छीनकर भागने का प्रयास किया गया. इनके द्वारा मोटर सायकल को पकड़कर गिरा दिया गया और आम जन की मदद से आरोपी को पकड़वाकर अदम्य साहस का परिचय देते हुए साहसिक कार्य किया.

(2) राज्य शासन द्वारा सौ. सुचिता सातपुते पति श्री अरूण एम सातपुते सोनागिरी भेल पिपलानी भोपाल को उनके द्वारा प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिये वर्ष 2013 का "महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार" एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि रुपये 1.00 लाख (रुपये एक लाख) प्रदान की जाएगी.

उपरोक्तानुसार पुरस्कार जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.